

Ref No- TGML/CGD/MBD/2021/ 235
Date: 29.10.2021

सेवा में

 प्रभागीय वनाधिकारी,
 वन प्रभाग, मुरादाबाद
 उत्तर प्रदेश।

विषय:- जनपद मुरादाबाद में टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड, द्वारा मुरादाबाद-फर्रुखाबाद मार्ग (एन0एच0-43) कि0मी0 चैनैज 4.420 से 5.820 कि0मी0 तक बांयी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु 0.0841 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
 (प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Pipeline/53597/2020)

प्र
 29/10/2021

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग - 2 लखनऊ की पत्र संख्या पी-35/81-2-2021-800(25)/2021 दिनांक 13.04.2021 एवं आपका पत्रांक 65/14- 1 दिनांक 07.07.2021 .

महोदय,

कृपया उपर्युक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग - 2 लखनऊ की पत्र संख्या पी-35/81-2-2021-800(25)/2021 दिनांक 13.04.2021 का अवलोकन करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ के उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 13.04.2021 द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। जिसके कम में आपके कार्यालय के उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों के अनुपालन हेतु लिखा गया है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या व प्रमाण-पत्रों की 05-05 प्रतियां मूल में संस्तुति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया तदनुसार अपने स्तर से उच्च स्तर को प्रेषित करने का कष्ट करें-

Condi on No.	Condition	Status of Compliance
1	2	3
1	सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र की 05 प्रतियां मूल में संलग्न हैं। (संलग्नक-1)
2	सी0एन0जी0/पी0एन0जी0 पाइपलाइन/मार्गों/सड़को/ वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही बिछाये जायेंगे।	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र की 05 प्रतियां मूल में संलग्न हैं। (संलग्नक-2)
3	सी0एन0जी0/पी0एन0जी0 पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज की गहराई 2.00 मीटर और चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक न होगी।	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र की 05 प्रतियां मूल में संलग्न हैं। (संलग्नक-3)
4	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र की 05 प्रतियां मूल में संलग्न हैं। (संलग्नक-4)
5	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र की 05 प्रतियां मूल में संलग्न हैं। (संलग्नक-5)
6	वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र की 05 प्रतियां मूल में संलग्न हैं। (संलग्नक-6)

TORRENT GAS MORADABAD LIMITED

Formerly SITI ENERGY LIMITED

1st Floor, C -Block, "Samanvay", 600 Tapovan, Ambawadi, Ahmedabad - 380 015, Gujarat, India. CIN of TGML: U40200GJ2005PLC112871.

Phone: +91 079 26628300. Email: compliance@torrentgas.com

Moradabad Office : Pridel Square Building, Majholi Chowk, Delhi Road.

Moradabad - 244001, Uttar Pradesh. Phone No.: 0591-2481106



	की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।	
7	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र की 05 प्रतियां मूल में संलग्न हैं। (संलग्नक-7)
8	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र की 05 प्रतियां मूल में संलग्न हैं। (संलग्नक-8)
9	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक-05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority). में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र की 05 प्रतियां मूल में संलग्न हैं। (संलग्नक-9)
10	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र की 05 प्रतियां मूल में संलग्न हैं। (संलग्नक-10)
11	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र की 05 प्रतियां मूल में संलग्न हैं। (संलग्नक-11)
12	भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफसी (पीटी), दिनांक-19.08.2010 तथा पत्र संख्या-J-11013/41/2006-IA-II(I) दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।	लागू नहीं है। (संलग्नक-12)
13	प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।	प्रमाण-पत्र की छाया प्रति संलग्न है। (संलग्नक-13)
14	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक-08.07.2011 में दिये	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र की 05 प्रतियां मूल में संलग्न हैं। (संलग्नक-14)

TORRENT GAS MORADABAD LIMITED

Formerly SITI ENERGY LIMITED

1st Floor, C -Block, "Samanvay", 600 Tapovan, Ambawadi, Ahmedabad - 380 015, Gujarat, India. CIN of TGML: U40200GJ2005PLC112871.

Phone: +91 079 26628300, Email: compliance@torrentgas.com

Moradabad Office : Pridel Square Building, Majholi Chowk, Delhi Road,

Moradabad - 244001, Uttar Pradesh, Phone No.: 0531-2481106

	गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया।	
15	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।	लागू नहीं है। (संलग्नक-15)
16	समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र की 05 प्रतियां मूल में संलग्न हैं। (संलग्नक-16)
17	<u>परियोजना में 06 इंच गैस पाइप लाईन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन0पी0वी0 का भुगतान किया जायेगा।</u>	शर्त संख्या 17 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभावित वन भूमि 0.0841 हे0 का एन0पी0वी0 रू0 52647/- का भुगतान ई-चालान संख्या 7253597630 दिनांक 25.10.2021 UTR NO. NEFT/AXISP00234422447/26102021011/UTTAR PRADESH दिनांक 26.10.2021 के माध्यम से सिधे Union Bank of India Lodhi Complex Branch Block 11 CGO Complex, Phase-I Lodhi Road New Delhi-110003, IFSC Code UBIN0903710 में जमा कि जा चुकी हैं। ई-चालान की छाया प्रति संलग्न (संलग्नक-17)
18	राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में प्रस्तावित गैस पाइप लाईन से आच्छादित बिन्दु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा जो इस प्रकार हैं- (1)सी0एन0जी0/गैस पाइप लाइन बिछाने वाली ऐसी कम्पनियां जो लगातार गैस पाइप लाइन बिछाती है तथा उसका क्षेत्र केवल एक शहर न होकर अंतर्शहरीय शहर से ग्रामीण अंतर्जिला तथा एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश होता है उस कंपनी से पूर्व की भांति प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त यथावत लागू रहेगी। (2)ऐसी कम्पनियां जो लगातार गैस पाइप लाइन के द्वारा केवल शहर में गैस आपूर्ति हेतु गैस पाइप लाइन बिछाती है अर्थात् जिसका दायरा एक शहर होता है उस कंपनी को भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति में वर्णित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अंतर्गत सामान्यतया दुगने अवनत वन या समतुल्य गैर वनभूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 05 वर्ष तक	श्वचनबद्धता प्रमाण-पत्र की 05 प्रतियां मूल में संलग्न हैं।(संलग्नक-18) शर्त संख्या 18 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 20 कि0मी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण हेतु आवश्यक धनराशी रू. 8241000 मात्र दिनांक 22.10.2021 को कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी समभल वन प्रभाग समभल में जमा करायी जा चुकी हैं। प्रमाण पत्र संलग्न. (संलग्नक-18)

TORRENT GAS MORADABAD LIMITED

Formerly SITI ENERGY LIMITED

3: 1st Floor, C -Block, "Samanvay", 600 Tapovan, Ambawadi, Ahmedabad - 380 015, Gujarat, India. CIN of TGML: U40200GJ2005PLC112871.

Phone: +91 079 26628300, Email: compliance@torrentgas.com

Moradabad Office : Pride Square Building, Majholi Chowk, Delhi Road.

Moradabad - 244001, Uttar Pradesh. Phone No.: 0591-2481106

	रखरखाव के लिये राज्य सरकार के द्वारा जारी शासनादेश में भारत सरकार की शर्तों के अतिरिक्त नवीन शर्त के रूप में उल्लेख किया जायेगा। इस धनराशि को प्रथमतया शहरी वृक्षारोपण में व्यय किया जायेगा।	
19	उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा। (1) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि सैद्धान्तिक स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के पास गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु वैध व अधिकृत लाईसेन्स हो तथा इस कार्य के लिये उन्हें सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त हो। उक्त शर्तों के अनुपालन के पश्चात् ही विधिवत् स्वीकृति प्रदान किया जायेगा। प्रश्नगत आदेश मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।	वचनबद्धता प्रमाण-पत्र की 05 प्रतियां मूल में संलग्न हैं।(संलग्नक-19)

	CA amount as per proposal	N.A.
	CA amount deposited	-
	Difference in amount	-
	Reason for difference	-
	NPV amount as per proposal	52647.00
	NPV amount deposited	52647.00
	Difference in amount	-
	Reason for difference	-
	Any other amount deposited(Complete details be provided) 20 Km. Row Plantation in three rows	8241000.00
	CAMPA Confirmation	Attached

अतः उपरोक्तानुसार सभी शर्तों की अनुपालन आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इस प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत कराने हेतु अग्रेसर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।



(प्रभाष कुमार)
प्रबन्धक,

टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड,
मुरादाबाद।

TORRENT GAS MORADABAD LIMITED

Formerly SITI ENERGY LIMITED

Regd. Office: 1st Floor, C -Block, "Samanvay", 600 Tapovan, Ambawadi, Ahmedabad - 380 015, Gujarat, India. CIN of TGML: U40200GJ2005PLC112871,

Phone: +91 079 26628300, Email: compliance@torrentgas.com

Moradabad Office : Pridel Square Building, Majholi Chowk, Delhi Road,

Moradabad - 240001, Uttar Pradesh. Phone No.: 0591-2481106

वचनबद्धता

विषय:-जनपद मुरादाबाद में टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड, द्वारा मुरादाबाद-फरुखाबाद मार्ग (एन0एच0-43) कि0मी0 चैनैज 4.420 से 5.820 कि0मी0 तक बांयी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु 0.0841 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Pipeline/53597/2020)

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग - 2 लखनऊ की पत्र संख्या पी-35/81-2-2021-800(25)/2021 दिनांक 13.04.2021 के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-1 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।


(प्रभाष कुमार)
प्रबन्धक,

टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड,
मुरादाबाद।

वचनबद्धता

विषय:-जनपद मुरादाबाद में टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड, द्वारा मुरादाबाद-फरुखाबाद मार्ग (एन0एच0-43) कि0मी0 चैनेज 4.420 से 5.820 कि0मी0 तक बांयी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु 0.0841 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Pipeline/53597/2020)

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग - 2 लखनऊ की पत्र संख्या पी-35/81-2-2021-800(25)/2021 दिनांक 13.04.2021 के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-2 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि सी0एन0जी0/पी0एन0जी0 पाइपलाइन/मार्गों/सड़को/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही बिछाये जायेंगे।


(प्रभाष कुमार),
प्रबन्धक,
टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड,
मुरादाबाद।

वचनबद्धता

विषय:-जनपद मुरादाबाद में टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड, द्वारा मुरादाबाद-फर्रुखाबाद मार्ग (एन0एच0-43) कि0मी0 चैनेज 4.420 से 5.820 कि0मी0 तक बांयी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु 0.0841 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Pipeline/53597/2020)

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग -2 लखनऊ की पत्र संख्या पी-35/81-2-2021-800(25)/2021 दिनांक 13.04.2021 के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-3 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि सी0एन0जी0/पी0एन0जी0 पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज की गहराई 2.00 मीटर और चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक न होगी।


(प्रभाष कुमार),
प्रबन्धक,
टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड,
मुरादाबाद।

वचनबद्धता

विषय:-जनपद मुरादाबाद में टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड, द्वारा मुरादाबाद-फरुखाबाद मार्ग (एन0एच0-43) कि0मी0 चैनेज 4.420 से 5.820 कि0मी0 तक बांयी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु 0.0841 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Pipeline/53597/2020)

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग -2 लखनऊ की पत्र संख्या पी-35/81-2-2021-800(25)/2021 दिनांक 13.04.2021 के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-4 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।


(प्रभाष कुमार),
प्रबन्धक,

टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड,
मुरादाबाद।

वचनबद्धता

विषय:-जनपद मुरादाबाद में टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड, द्वारा मुरादाबाद-फरुखाबाद मार्ग (एन0एच0-43) कि0मी0 चैनेज 4.420 से 5.820 कि0मी0 तक बांयी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु 0.0841 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Pipeline/53597/2020)

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ की पत्र संख्या पी-35/81-2-2021-800(25)/2021 दिनांक 13.04.2021 के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-5 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।


(प्रभाष कुमार)
प्रबन्धक,
टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड,
मुरादाबाद।



वचनबद्धता

विषय:-जनपद मुरादाबाद में टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड, द्वारा मुरादाबाद-फरुखाबाद मार्ग (एन0एच0-43) कि0मी0 चैनेज 4.420 से 5.820 कि0मी0 तक बांयी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु 0.0841 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Pipeline/53597/2020)

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ की पत्र संख्या पी-35/81-2-2021-800(25)/2021 दिनांक 13.04.2021 के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-6 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।


(प्रभाष कुमार)
प्रबन्धक,
टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड,
मुरादाबाद।



वचनबद्धता

विषय:-जनपद मुरादाबाद में टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड, द्वारा मुरादाबाद-फरुखाबाद मार्ग (एन0एच0-43) कि0मी0 चैनेज 4.420 से 5.820 कि0मी0 तक बांयी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु 0.0841 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Pipeline/53597/2020)

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग- 2 लखनऊ की पत्र संख्या पी-35/81-2-2021-800(79)/2021 दिनांक 13.04.2020 के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-6 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।

(प्रभाष कुमार),

प्रबन्धक,

टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड,
मुरादाबाद।



(संलग्नक-8)

वचनबद्धता

विषय:-जनपद मुरादाबाद में टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड, द्वारा मुरादाबाद-फरुखाबाद मार्ग (एन0एच0-43) कि0मी0 चैनेज 4.420 से 5.820 कि0मी0 तक बांयी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु 0.0841 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Pipeline/53597/2020)

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ की पत्र संख्या पी-35/81-2-2021-800(25)/2021 दिनांक 13.04.2021 के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-8 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि भूमि का सरफेस राइट्स(Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भाँति यथावत् बना रहेगा।


(प्रभाष कुमार)
प्रबन्धक,
टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड,
मुरादाबाद।



(संलग्नक-9)

वचनबद्धता

विषय:-जनपद मुरादाबाद में टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड, द्वारा मुरादाबाद-फर्रुखाबाद मार्ग (एन0एच0-43) कि0मी0 चैनेज 4.420 से 5.820 कि0मी0 तक बांयी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु 0.0841 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Pipeline/53597/2020)

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ की पत्र संख्या पी-35/81-2-2021-800(25)/2021 दिनांक 13.04.2021 के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-9 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक-05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 घनराशि रू0 52647.00(रू0 बावन हजार छः सौ सैतालीस मात्र), क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority). में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।


(प्रभाष कुमार)
प्रबन्धक,
टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड,
मुरादाबाद।

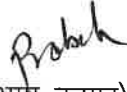


(संलग्नक-10)

वचनबद्धता

विषय:-जनपद मुरादाबाद में टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड, द्वारा मुरादाबाद-फर्रुखाबाद मार्ग (एन0एच0-43) कि०मी० चैनैज 4.420 से 5.820 कि०मी० तक बांयी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु 0.0841 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Pipeline/53597/2020)

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ की पत्र संख्या पी-35/81-2-2021-800(25)/2021 दिनांक 13.04.2021 के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-10 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।

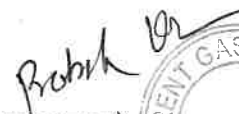

(प्रभाष कुमार),
प्रबन्धक,
टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड,
मुरादाबाद।



वचनबद्धता

विषय:-जनपद मुरादाबाद में टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड, द्वारा मुरादाबाद-फरुखाबाद मार्ग (एन0एच0-43) कि0मी0 चैनेज 4.420 से 5.820 कि0मी0 तक बांयी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु 0.0841 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Pipeline/53597/2020)

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ की पत्र संख्या पी-35/81-2-2021-800(25)/2021 दिनांक 13.04.2021 के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-11 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाईसेंस हो तथा उसे सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त हो।


(प्रभाष कुमार),
प्रबन्धक,
टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड,
मुरादाबाद।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, मुरादाबाद।

पत्रांक:- 1416 / प्रा0वर्ग / 20-21

दिनांक :- 28/10/2020

सेवा में,

Assistant Manager,
Torrent Gas Pvt. Ltd.,
C/o Torrent Gas Moradabad Ltd. CNG Station,
Village Dhannupura, 14 Km Stone,
NH-24, Moradabad.

विषय :- Permission for use of left of way (ROW) for laying of 6" Dia Carbon steel pipeline from RTO DRS to Marque impex Industry.

सन्दर्भ :- Your Letter No. TGML/2019-20/MB/0021 Dated 17-12-2019 & TGPL/GA-83/2020-21/MB/132 Dated 17-10-2020

उपरोक्त विषयगत मार्ग पर पाईपलाईन बिछाने हेतु संलग्न मानचित्र के अनुसार पाईपलाईन डालने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है।

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	लम्बाई
1	Permission for use of left of way (ROW) for laying of 6" Dia Carbon steel pipeline from RTO DRS to Marque impex Industry. (Moradabad Farrukhabad Road SH-43) (Length 1400 M)	1.400 Km.

प्रतिबन्ध यह है कि :-

- कार्य मार्ग की लेपित सतह के किनारे से न्यूनतम 2.00 मी0 छोड़कर कच्चे भाग में किया जायेगा।
- समस्त कार्य एच0डी0डी0 मशीन द्वारा ही कराया जाये।
- खोदे जा रहे गड्ढे के चारों ओर बेरिकेटिंग/टीन आदि लगाकर सुरक्षित किया जाये।
- कच्चे भाग में जहाँ भी पिट्स खोदे जायें उनको कार्य उपरान्त तत्काल भली प्रकार मिट्टी से लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुरूप कुटाई कर बन्द कर दिया जाये, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना की सम्भावना न रहे।
- कार्य के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से लाल झण्डी, बेरिकेटिंग टीन, बैरियर एवं आवश्यक सूचना पट इत्यादि का समुचित प्रयोग किया जाये। किसी भी दुर्घटना की जिम्मेदारी लो0नि0वि0 की नहीं होगी।
- कार्य करते समय अन्य विभाग की केबिल/विद्युत खम्बे/भूमिगत पाईप लाईन/गैस लाईन/भूमिगत विद्युत लाईन इत्यादि क्षतिग्रस्त न हो इसका पूर्ण ध्यान रखा जाए, जिसके लिए लो0नि0वि0 का कोई उत्तदायित्व नहीं होगा।
- कार्य के दौरान यातायात में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न हो इसकी समुचित व्यवस्था की जाये।
- मार्ग की लेपित सतह को किसी प्रकार क्षतिग्रस्त न किया जाये।
- भविष्य में मार्ग के चौड़ीकरण के समय आपकी पाईपलाईन के क्षतिग्रस्त होने की कोई जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी तथा चौड़ीकरण के दौरान पाईपलाईन आपको स्वयं के खर्च से शिफ्ट करानी होगी।
- यदि इस संरेखण में कोई भूमि वन विभाग अथवा अन्य विभाग के स्वामित्व में आती है तो सम्बन्धित विभाग से अनुमति लेना आपकी जिम्मेदारी होगी।
- उपरोक्त प्रतिबन्धों का पालन न होने की स्थिति में अनुमति निरस्त करते हुए कार्य को तुरन्त बन्द करा दिया जायेगा।
- शासनादेश के अनुसार अन्य सभी शर्तें मान्य होंगी।
- यदि कार्य उपरान्त पटरी/लेपित मार्ग की मरम्मत सन्तोषजनक रूप से नहीं की जाती है तो मरम्मत का कार्य डेबिडेबिल एजेन्सी द्वारा करा लिया जाएगा एवं इस प्रकार हुए किसी भी व्यय की प्रतिपूर्ति की वसूली आप से कर ली जाएगी। आप द्वारा जमा की जा रही जमानत की बैंक गारण्टी मार्ग के प्रभारी अभियन्ता की निरीक्षण आख्या उपरान्त ही वापस की जाएगी।
- कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त डाली गयी पाईपलाईन का वास्तविक ले-आउट इस कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- डाली गयी पाईपलाईन के ऊपर 500-500मी0 के अन्तराल पर सांकेतिक बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद।

पत्रांक:-

दिनांक :- / / 2020

- प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता-द्वितीय, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, मुरादाबाद को उनके द्वारा दी गयी आख्या के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि खण्डीय कैशियर, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या 006544, दिनांक 06.10.2020, धनराशि रू0 1400/- (रू0 एक हजार चार सौ मात्र) राजकीय कोष में जमा करने हेतु एवं बैंक गारण्टी संख्या OGT0009200047486 दिनांक 12.10.2020, धनराशि रू0 1,70,000/- (रू0 एक लाख सत्तर हजार मात्र) को सुरक्षित रखने हेतु।



अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद।

वचनबद्धता

विषय:-जनपद मुरादाबाद में टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड, द्वारा मुरादाबाद-फरुखाबाद मार्ग (एन0एच0-43) कि0मी0 चैनेज 4.420 से 5.820 कि0मी0 तक बांयी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु 0.0841 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Pipeline/53597/2020)

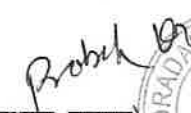
सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ की पत्र संख्या पी-35/81-2-2021-800(25)/2021 दिनांक 13.04.2021 के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-12 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफसी (पीटी), दिनांक-19.08.2010 तथा पत्र संख्या-J-11013/41/2006-IA-II(I) दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया हैं


(प्रभाष कुमार)
प्रबन्धक,
टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड,
मुरादाबाद।

वचनबद्धता

विषय:-जनपद मुरादाबाद में टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड, द्वारा मुरादाबाद-फर्रुखाबाद मार्ग (एन0एच0-43) कि0मी0 चैनेज 4.420 से 5.820 कि0मी0 तक बांयी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु 0.0841 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Pipeline/53597/2020)

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ की पत्र संख्या पी-35/81-2-2021-800(25)/2021 दिनोंक 13.04.2021 के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-13 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।


(प्रभाष कुमार)
प्रबन्धक,
टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड,
मुरादाबाद।



FORM-I

(for Plantation on non-Forest land and notified as "protected Forest" on or after 13th December 1930 and Located in Villages having no recorded Scheduled Tribe Population as per 2001 and 2011 census)

[Rule 6(3) (e) of Forest (Conservation) Rules 2003 as amended up to date]

Government of Uttar Pradesh

Office of the District Collector/Magistrate Moradabad

No. 1661/14-1

Dated 25/01/2021

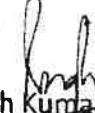
TO WHOM SO EVER IT, MAY CONCERN

In compliance of the Rule 6(3) (e) of Forest (Conservation) Rules 2003 [as amended vide the forest (Conservation) Amendment Rules 2014, Forest (Conservation) second amendment Rules 2014, and forest (Conservation) Amendment Rules 2016] it is certified that 0.0841 hectares of Protected forest land proposed to be diverted in favour of Torrent Gas Moradabad Ltd. "for laying of gas pipeline, (SH-43) Moradabad-Farrukhabad road between Km Chainage No-4.420 to 5.820 on Left side in the State of Uttar Pradesh" in district falls within jurisdiction of PWD Moradabad. village Pandit Nangla & Mohammadpur Bastour in Moradabad & Bilari tehsile having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census of India 2001 and 2011. It is further certified that:

- The Protected Forest(s) namely **Moradabad-Farrukhabad Road** involved in the above villages are Plantation raised on non-Forest land on or after 13th December 1930 and were notified as PF vide notification No 1115/XIV-331-50 dated 10-02-1960;
- Therefore, these PFs neither have residing Scheduled tribes nor have Other Traditional Forest Dwellers (residing in the PFs for more then 75 years) having rights recognized under forest Right Acts, 2006.

Encl:As above.


(Kanhaiya Patel)
Divisional Director,
Social forestry Division,
सामाजिक वन्यिकी प्रभाग,
मुरादाबाद



(Rakesh Kumar Singh)
District Collector,
Moradabad




वचनबद्धता

विषय:-जनपद मुरादाबाद में टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड, द्वारा मुरादाबाद-फरुखाबाद मार्ग (एन0एच0-43) कि0मी0 चैनेज 4.420 से 5.820 कि0मी0 तक बांयी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु 0.0841 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Pipeline/53597/2020)

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग - 2 लखनऊ की पत्र संख्या पी-35/81-2-2021-800(25)/2021 दिनांक 13.04.2021 के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-14 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक-08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया।


(प्रभाष कुमार),
प्रबन्धक,
टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड,
मुरादाबाद।



वचनबद्धता

विषय:-जनपद मुरादाबाद में टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड, द्वारा मुरादाबाद-फर्रुखाबाद मार्ग (एन0एच0-43) कि0मी0 चैनेज 4.420 से 5.820 कि0मी0 तक बांयी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु 0.0841 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Pipeline/53597/2020)

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग - 2 लखनऊ की पत्र संख्या पी-35/81-2-2021-800(25)/2021 दिनांक 13.04.2021 के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-15 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि यदि प्रश्नगत भूमे सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।


(प्रभाष कुमार),
प्रबन्धक,

टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड,
मुरादाबाद।

(संलग्नक-16)

वचनबद्धता

विषय:-जनपद मुरादाबाद में टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड, द्वारा मुरादाबाद-फरुखाबाद मार्ग (एन0एच0-43) कि0मी0 चैनेज 4.420 से 5.820 कि0मी0 तक बांयी पटरी पर गैस पाईप लाईंग बिछाये जाने हेतु 0.0841 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Pipeline/53597/2020)

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग - 2 लखनऊ की पत्र संख्या पी-35/81-2-2021-800(25)/2021 दिनांक 13.04.2021 के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-16 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।


(प्रभाष कुमार)
प्रबन्धक,
टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड,
मुरादाबाद।



वचनबद्धता

विषय:—जनपद मुरादाबाद में टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड, द्वारा मुरादाबाद—फर्रुखाबाद मार्ग (एन0एच0-43) कि0मी0 चैनेज 4.420 से 5.820 कि0मी0 तक बांयी पटरी पर गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु 0.0841 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या—FP/UP/Pipeline/53597/2020)

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग - 2 लखनऊ की पत्र संख्या पी-35/81-2-2021-800(25)/2021 दिनांक 13.04.2021 के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-17 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना में 06 इंच गैस पाईप लाईन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन0पी0वी0 का भुगतान किया जायेगा।


(प्रभाष कुमार)
प्रबन्धक,
टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड,
मुरादाबाद।

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help



Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid / Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UP/Pipeline/118228/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/UP/Pipeline/118228/2021) Laying of Proposed 6" Dia. Steel Gas pipeline from Near Marque Impex to Kundarki (Ch : 5.150 to 16.500 km) Moradabad-Chandausi National Highway-509 in Moradabad District (U.P)	PIPELINE1182282021377	72118228377	09 Jun 2021	CA: 0/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 388997/-, O: 0/- O: 0/- O: 0/- Total: 388997/-	Paid	Fund Demand Verified by 25 Oct 2021 Nodal Officer On Bank Name: Union Bank Of India Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 25 Oct 2021 Transaction Date 26 Oct 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/211020211137054257_FPUPPipeline1182282021) Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=PIPELINE1182282021)
2	FP/UP/Pipeline/53597/2020 (../viewreport.aspx?pid=FP/UP/Pipeline/53597/2020) Laying of Proposed 6" Dia. Steel pipeline along the Moradabad to Farrukhabad State Highway No. 43 (Ch : 4.420 to 5.820 km) in Moradabad District (U.P)	PIPELINE535972020630	7253597530	13 Apr 2021	CA: 0/-, Addl CA: 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA: 0/- NPV: 52647/-, O: 0/- O: 0/- O: 0/- Total: 52647/-	Paid	Fund Demand Verified by 25 Oct 2021 Nodal Officer On Bank Name: Union Bank Of India Mode of Payment: NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On 25 Oct 2021 Transaction Date 26 Oct 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/211020211143555499_FPUPPipeline535972020) Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=PIPELINE535972020)



BHARAT (HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)



WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)

(HTTPS://DATA.GOV.IN/)



(HTTPS://INDIA.GOV.IN/)



Gov (HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)

(HTTP://MEITY.GOV.IN/)



(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)



(HTTP://WWW.NIC.IN/)



MeitY

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India

Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) | Accessibility Statement (Accessibilstatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in



AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India
आंध्र प्रदेश
आंध्र प्रदेश सरकार & Government of India
आंध्र प्रदेश
आंध्र प्रदेश

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds
Date : 25-10-2021

Agency Name.	TORRENT GAS MORADABAD LTD
Application No.	7253597630
MoEF/SG File No.	P-35/81-2-2021-800(25)/2021
Location.	UTTAR PRADESH
Address.	CNG Station Village Dhannupura, 14Km stone , NH 24, Moradabad State UPMoradabad
Amount(in Rs)	52647/-

Amount in Words : Fifty-Two Thousand Six Hundred and Forty-Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150907253597630 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India
आंध्र प्रदेश
आंध्र प्रदेश सरकार & Government of India
आंध्र प्रदेश
आंध्र प्रदेश

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds
Date : 25-10-2021

Agency Name.	TORRENT GAS MORADABAD LTD
Application No.	7253597630
MoEF/SG File No.	P-35/81-2-2021-800(25)/2021
Location.	UTTAR PRADESH
Address:	CNG Station Village Dhannupura, 14Km stone , NH 24, Moradabad State UP Moradabad
Amount(in Rs)	52647/-

Amount in Words : Fifty-Two Thousand Six Hundred and Forty-Seven Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150907253597630 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to
Email: cb0371@unionbankofindia.com



UTR Details.

Tran Date	Value Date	CHQ NO	Transaction Particulars	Amount (INR)	DR C R
26-10-2021	26-10-2021	-	NEFT/AXISP00234422447/26102021011/UTTAR PRADESH C	52,647.00	DR



(संलग्नक-18)

वचनबद्धता

विषय:-जनपद मुरादाबाद में टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड, द्वारा मुरादाबाद-फरुखाबाद मार्ग (एन0एच0-43) कि0मी0 चैनैज 4.420 से 5.820 कि0मी0 तक बांयी पटरी पर गैस पाइप लाइन बिछाये जाने हेतु 0.0841 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Pipeline/53597/2020)

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग - 2 लखनऊ की पत्र संख्या पी-35/81-2-2021-800(25)/2021 दिनांक 13.04.2021 के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-18 के अनुपलान में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन से आच्छादित बिन्दु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा जो इस प्रकार हैं-

(1)सी0एन0जी0/गैस पाइप लाइन बिछाने वाली ऐसी कम्पनियां जो लगातार गैस पाइप लाइन बिछाती है तथा उसका क्षेत्र केवल एक शहर न होकर अंतर्शहरीय शहर से ग्रामीण अंतर्जिला तथा एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश होता है उस कंपनी से पूर्व की भांति प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त यथावत लागू रहेगी।

(2)ऐसी कम्पनियों जो लगातार गैस पाइप लाइन के द्वारा केवल शहर में गैस आपूर्ति हेतु गैस पाइप लाइन बिछाती है अर्थात् जिसका दायरा एक शहर होता है उस कंपनी को भारत सरकार द्वारा प्रदत्त स्वीकृति में वर्णित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अंतर्गत सामान्यतया दुगने अवनत वन या समतुल्य गैर वनभूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 05 वर्ष तक रखरखाव के लिये राज्य सरकार के द्वारा जारी शासनादेश में भारत सरकार की शर्तों के अतिरिक्त नवीन शर्त के रूप में उल्लेख किया जायेगा। इस धनराशि को प्रथमतया शहरी वृक्षारोपण में व्यय किया जायेगा।


(प्रभाष कुमार)
प्रबन्धक,
टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड
मुरादाबाद।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, सम्मल वन प्रभाग, सम्मल।

पत्रांक- 8/4 / 14 -1(कैम्प चन्दौसी) दिनांक 23/10/ 2021।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :- उ०प्र० शासन के निर्देशानुसार गैस पाईप लाईन बिछाये जाने हेतु शर्त के कम में 20 किमी० तीन लाईनों में वृक्षारोपण कराये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 784/11-सी लखनऊ दिनांक 07.09.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में अवगत कराना है कि अधिशासी निदेशक, टोरेन्ट गैस (टी०जी०पी०एल०/टी०जी०एम०एल०) लखनऊ द्वारा अपने कार्यालय के Ref No:- TGPL/TGML/FOR/LKO/2021/46 दिनांक 22.10.2021 के माध्यम से सम्मल वन प्रभाग, सम्मल के अन्तर्गत 20 किमी० तीन लाईनों में वृक्षारोपण कराये जाने हेतु प्राक्कलन की वांछित धनराशि रुपये 8241000.00(रुपये बयासी लाख इकतालीस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट संख्या 007060 दिनांक 22.10.2021 इस कार्यालय को उपलब्ध करा दिया गया है।

अतः रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,

सम्मल वन प्रभाग, सम्मल।

संख्या- 8/4 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि- वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- अधिशासी निदेशक, टोरेन्ट गैस (टी०जी०पी०एल०/टी०जी०एम०एल०) साईबर हाईट विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रबन्धक, टोरेन्ट गैस (टी०जी०पी०एल०/टी०जी०एम०एल०) मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(अरविन्द कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,

सम्मल वन प्रभाग, सम्मल।

(संलग्नक-19)

वचनबद्धता

विषय:-जनपद मुरादाबाद में टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड, द्वारा मुरादाबाद-फरुखाबाद मार्ग (एन0एच0-43) कि0मी0 चैनेज 4.420 से 5.820 कि0मी0 तक बांयी पटरी पर गैस पाइप लाईन बिछाये जाने हेतु 0.0841 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Pipeline/53597/2020)

सचिव, उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग - 2 लखनऊ की पत्र संख्या पी-35/81-2-2021-800(25)/2021 दिनांक 13.04.2021 के माध्यम से निर्गत की गयी सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-19 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण (टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड) द्वारा इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है कि उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

(1) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि सैद्धान्तिक स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के पास गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु वैध व अधिकृत लाईसेन्स हो तथा इस कार्य कि लिये उन्हें सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त हो। उक्त शर्तों के अनुपालन के पश्चात् ही विधिवत् स्वीकृति प्रदान किया जायेगा। प्रश्नगत आदेश मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।


(प्रभाष कुमार)
प्रबन्धक,

टोरेन्ट गैस मुरादाबाद लिमिटेड,
मुरादाबाद।